न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 165 सन 2021

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. गोहनसिह पुत्र बख्तावरसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता
गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 2/5/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायल की खरीद शुद्वा भूमि जो भूपसिह , कपूरसिह , साधुसिह पि0 जनीसिह से दिनांक 26.07.1983 को चक 21 जेएसएन के प0न0 324/410(70) के किला न0 8 ,11 ता 13 ,18 ,23 कुल 10 बीघा भूमि जिस पर लगातार निरन्तर रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वादी की माता मु0 विधा देवी पत्नी द्वारका प्रसाद की इन्ही खातेदार से प0न0 324/410(70) के किला न0 3 की 0.18 बिश्वा, 4/18 बिश्वा, 5 की 16 बिश्वा, 6 की 18 बिश्वा, 7 की 1 बीघा , 14 की 1 बीघा , 15 की 0.18 बिश्वा, 16 की 0.18 बिश्वा, 17 की 1 बीघा, 24 की 1 बीघा , 25 की 1 बीघ कुल 10. 04 बीघा भूमि दिनांक 26.07.1983 को खरीदशुद्वा है तथा दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ने इन्ही खातेदारों से दिनांक 26.07.1983 को प0न0 326/409(57) के किला न0 11 की 1 बीघा ,14 की 1 बीघा , 16 की 17 बिश्वा, 17 की 1 बीघा, 20 की 1 बीघा , 24 की 1 बीघा कुल 8. बीघा 17 बिश्वा भूमि खरीदशुद्वा है।

रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74 में प0न0 324/410(70) के किला न0 3 ता 8 ,11 ता 25 व प0न0 326/409(57) के किला न0 11 ,14 ,16 ,17 ,20–24 व प0न0 326/410(72) के किला न0 11 ,12 ,20 कुल 7.5520हैक भूमि में सयुक्त तौर से 5111/7350 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 1 का 2239/7350हिस्सा भूमि दर्ज है।

बाद भूमि सायल की माता विधादेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वसीयत उतराधिकारी के कारण उसका खरीदशुद्वा 10.10 बीघा भूमि सायल के नाम दर्ज होने के कारण जमाबन्दी में वादी का 20.04 बीघा , दर्ज हुआ तथा दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद का खरीद के मुताबिक 8.17 बीघा भूमि दर्ज हुआ है सायल व दिनेश व माता विधादेवी एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण गैरसायल संख्या 2 द्वारा मुताबिक बैयनामों के नामान्तकरण दर्ज न करके हिस्सो में सयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व व सायल के हकों का हनन करने वाला है जिसे सायल न्यायालय से घोषणा करापने का अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में मुताबिक खरीदशुद्वा बैयनानुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

सयुक्त खाता में भूमि दर्ज होने के कारण दिनेश कुमार के मुक्तयारनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 1 को हिस्सा दर्ज के अनुसार बैयनामा करवा दिया दिनेश कुमार का हक व हिस्सा मुताबिक बैयनामा दिनांक 26.07.1983चक 21 जेएसएन के प0न0 236/409(57) के किला न0 11 की 0.2530 ,14/0.2530 ,16/2 की 0.2150 ,17/0.2530 ,20/.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 326/410(72) के किला न0 11/0.2530 ,12/.2530 ,20/.2530 ,कुल 2.239हैक भूमि है उसी को गैरसायाल संख्या 1 ने खरीद किया है उसी पर कब्जा है किन्तु गैरसायल संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैयनामा इन्तकाल दर्ज नही होने का फायदा उठाकर सायल व उसकी मॉ की खरीदशुद्वा भूमि मे दखल देना चाहता है कई बार परेशान करने की कोशिश भी की गई है यदि सायल व उसकी मॉ की

उप खण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

खरीदशुद्दा कब्जा काश्त की भूमि में गैरसायल संख्या 1 स्वय अथवा अपने आदमियों से दखल दी जाती है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74 की कुल 5.1370है भूमि में सायल के कब्जा काश्त में गैरसायल स्वय अथवा अपने आदमियों से मदाखलत बेजा न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल सख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाव पेश किया की ।

सायल का दिनांक 26.7.1983 को खरीदशुद्दा रकबा का कुल योग 10 बीघा दर्ज किया लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा कुल 6.00 बीघा बनता है तथा मद में दर्ज सायल की माता विधादेवी पत्नी द्वारका प्रसाद का खरीदशुद्दा रकबा का योग 10.04 बीघा दर्ज किया है लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा का कुल योग 9.07 बीघा बनता है एवं दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद का खरीदशुद्दा रकबा का योग 8.17 बीघा दर्ज किया है लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा का कुल योग 5.17 बिश्वा बनता है जो गलत दर्ज किया है इसी कारण प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

सायल द्वारा चाही गई घोषणा में दर्ज भूमि का सायल किसी श्रेणी का काश्तकार नही है वाद वादी एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारीज योग्य है।

सायल व उसकी माता विधादेवी एव दिनेश कुमार एक ही परिवार के सदस्य है जो विवादित भूमि को बैयनामा दिनांक 26.07.1983 से लेकर आज तक मुश्तरका खाता में दर्ज है जो स्वीकार करते आ रहे है इसलिये अब अपनी स्वीकृति से इन्कार नही कर सकते है। सायल एवं उसकी माता विधादेवी एव दिनेश कुमार एक ही परिवार के सदस्य है विवादित भूमि बैयनामा दिनांक 26.07.1983 से लेकर आज तक मुश्तरका खाता में दर्ज है एवं सायल के लिये बाहमी बंटवारा कर रखा था उसी बंटवारा के मुताबिक काश्त करते थे एवं दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ने विवादित भूमि में से अपने हक हिस्सा की 2239/7350हिस्सा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 03.09.2021 को उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 को बैय कर मौके पर कब्जा चक 21 जेएसएन के मु0न0 324/410(70) के किला न0 3/2 की 2280 ,4/2 की 0.2280 , 5/2 की 0.2020 ,6/2 की 0.2270 ,7 ता 8 /0.5060 ,12/0.1150 ,13 ता 14/0.5060 , 15/2 की 0.2280 कुल 2.240हैक भूमि बारानी प्रथम एवं 0.06500हैक गै0मु0 रास्ता कुल 2.3050हैक भूमि का कब्जा मौके पर सौपा दिया जो उतरादाता के कब्जा काश्त मे चला आ रहा है जिसकी उतरादाता गैरसायल संख्या 1 घोषणा करवाकर अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

सायल खुद आये दिन उतरदाता को परेशान करता है उतरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये उसके खिलाफ किसी प्रकार कि निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है कब्जा के अभाव मे दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है इसलिय प्रार्थना पत्र स्वत ही खारीज योग्य है।

सायल ने विवादित भूमि मे अपने हक हिस्सा की घोषणा के लिये पेश किया है जो बिना खाता विभाजन की इस्तदुआ के मेनटेनेबल नही है इसलिये वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है ।

दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद से विवादित भूमि में से उसके हक व हिस्सा की 2239/7350 हिस्सा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 03.09.2021 को पुर्ण प्रतिफल देकर खरीद की थी जिसका कब्जा मोके पर प्राप्त कर लिया था विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर आजतक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये सायल अदालत से किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वत ही खारीज योग्य है।

सायल ने प्रार्थना पत्र सिर्फ उतरादाता को तंग परेशान करने के लिये झुठा पेश किया गया है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्वात सायल के बजाय गैरसायल के पक्ष में बनता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

गैरसायलान जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया सायल की खरीद शुद्वा भूमि जो भूपसिंह , कपूरसिंह , साधुसिंह पि0 जनीसिंह से दिनांक 26.07.1983 को चक 21 जेएसएन के प0न0 324/410(70) के किला न0 8 ,11 ता 13 ,18 ,23 कुल 10 बीधा भूमि जिस पर लगातार निरन्तर रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वादी की माता मु0 विधा देवी पत्नी द्वारका प्रसाद की इन्ही खातेदार से प0न0 324/410(70) के किला न0 3 की 0.18 बिश्वा, 4/18 बिश्वा, 5 की 16 बिश्वा, 6 की 18 बिश्वा, 7 की 1 बीधा , 14 की 1 बीधा , 15 की 0.18 बिश्वा, 16 की 0.18 बिश्वा, 17 की 1 बीधा, 24 की 1 बीधा , 25 की 1 बीध कुल 10.04 बीधा भूमि दिनांक 26. 07.1983 को खरीदशुद्वा है तथा दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ने इन्ही खातेदारों से दिनांक 26.07.1983 को प0न0 326/409(57) के किला न0 11 की 1 बीधा ,14 की 1 बीधा , 16 की 17 बिश्वा, 17 की 1 बीधा, 20 की 1 बीधा , 24 की 1 बीधा कुल 8 बीधा 17 बिश्वा भूमि खरीदशुद्वा है।

रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74 में प0न0 324/410(70) के किला न0 3 ता 8 ,11 ता 25 व प0न0 326/409(57) के किला न0 11 ,14 ,16 ,17 ,20-24 व प0न0 326/410(72) के किला न0 11 ,12 ,20 कुल 7.5520है0 भूमि में संयुक्त तौर से 5111/7350 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 1 का 2239/7350हिस्सा भूमि दर्ज है।

वाद भूमि सायल की माता विधादेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वसीयत उतराधिकारी के कारण उसका खरीदशुद्वा 10.10 बीधा भूमि सायल के नाम दर्ज होने के कारण जमाबन्दी में वादी का 20.04 बीधा , दर्ज हुआ तथा दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद का खरीद के मुताबिक 8.17 बीधा भूमि दर्ज हुआ है सायल व दिनेश व माता विधादेवी एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण गैरसायल संख्या 2 द्वारा मुताबिक बैयनामों के नामान्तकरण दर्ज न करके हिस्सो में संयुक्त रूप से हिस्सा दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व व सायल के हकों का हनन करने वाला है जिसे सायल न्यायालय से घोषणा करापने का अधिकारी है जिसे राजस्व रिकार्ड में मुताबिक खरीदशुद्वा बैयनानुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

संयुक्त खाता में भूमि दर्ज होने के कारण दिनेश कुमार के मुक्तयारनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 1 को हिस्सा दर्ज के अनुसार बैयनामा करवा दिया दिनेश कुमार का हक व हिस्सा मुताबिक बैयनामा दिनांक 26.07.1983चक 21 जेएसएन के प0न0 236/409(57) के किला न0 11 की 0.2530 ,14/0.2530 ,16/2 की 0.2150 ,17/0.2530 ,20/.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 326/410(72) के किला न0 11/0.2530 ,12/.2530 ,20/.2530 ,कुल 2.239है0 भूमि है उसी को गैरसायाल संख्या 1 ने खरीद किया है उसी पर कब्जा है किन्तु गैरसायल संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बैयनामा इन्तकाल दर्ज नही होने का फायदा उठाकर सायल व उसकी माँ की खरीदशुद्वा भूमि मे दखल देना चाहता है कई बार परेशान करने की कोशिश भी की गई है यदि सायल व उसकी माँ की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि में गैरसायल संख्या 1 स्वय अथवा अपने आदमियों से दखल दी जाती है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74 की कुल 5.1370है भूमि में सायल के कब्जा काश्त में गैरसायल स्वय अथवा अपने आदमियों से मदाखलत बेजा न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल का दिनांक 26.7.1983 को खरीदशुद्वा रकबा का कुल योग 10 बीधा दर्ज किया लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा कुल 6.00 बीधा बनता है तथा मद में दर्ज सायल की माता विधादेवी पत्नी द्वारका प्रसाद का खरीदशुद्वा रकबा का योग 10.04 बीधा दर्ज किया है लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा का कुल योग 9.07 बीधा बनता है एवं दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद का खरीदशुद्वा रकबा का योग 8.17 बीधा दर्ज किया है लेकिन मद में दर्ज अनुसार रकबा का कुल योग 5.17 बिश्वा बनता है जो गलत दर्ज किया है इसी कारण प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

सायल द्वारा चाही गई घोषणा में दर्ज भूमि का सायल किसी श्रेणी का काश्तकार नही है वाद वादी एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारीज योग्य है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

सायल व उसकी माता विधादेवी एव दिनेश कुमार एक ही परिवार के सदस्य है जो विवादित भूमि को बैयनामा दिनांक 26.07.1983 से लेकर आज तक मुश्तरका खाता में दर्ज है जो स्वीकार करते आ रहे है इसलिये अब अपनी स्वीकृति से इन्कार नही कर सकते है। सायल एवं उसकी माता विधादेवी एवं दिनेश कुमार एक ही परिवार के सदस्य है विवादित भूमि बैयनामा दिनांक 26.07.1983 से लेकर आज तक मुश्तरका खाता में दर्ज है एवं सायल के लिये बाहमी बंटवारा कर रखा था उसी बंटवारा के मुताबिक काश्त करते थे एवं दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ने विवादित भूमि मे से अपने हक हिस्सा की 2239/7350हिस्सा भूमि को जरिये बेयनामा दिनांक 03.09.2021 को उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 को बैय कर मौके पर कब्जा चक 21 जेएसएन के प0न0 324/410(70) के किला न0 3/2 की 2280 ,4/2 की 0.2280 , 5/2 की 0.2020 ,6/2 की 0.2270 ,7 ता 8 /0.5060 ,12/0.1150 ,13 ता 14/0.5060 , 15/2 की 0.2280 कुल 2.240हैव भूमि बारानी प्रथम एवं 0.06500हैव गै0मु0 रास्ता कुल 2.3050हैव भूमि का कब्जा मौके पर सौपा दिया जो उत्तरदाता के कब्जा काश्त में चला आ रहा है जिसकी उत्तरादाता गैरसायल संख्या 1 धोषणा करवाकर अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

सायल खुद आये दिन उत्तरदाता को परेशान करता है उत्तरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिये उसके खिलाफ किसी प्रकार कि निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

सायल का विवादित भूमि पर कब्जा नही है कब्जा के अभाव मे दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है इसलिय प्रार्थना पत्र स्वत ही खारीज योग्य है।

सायल ने विवादित भूमि में अपने हक हिस्सा की धोषणा के लिये पेश किया है जो बिना खाता विभाजन की इस्तदुआ के मेनटेनेबल नही है इसलिये वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारीज योग्य है ।

दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद से विवादित भूमि में से उसके हक व हिस्सा की 2239/7350 हिस्सा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 03.09.2021 को पुर्ण प्रतिफल देकर खरीद की थी जिसका कब्जा मोके पर प्राप्त कर लिया था विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर आजतक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये सायल अदालत से किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है इसलिये प्रार्थना पत्र स्वत ही खारीज योग्य है।

सायल ने प्रार्थना पत्र सिर्फ उत्तरादाता को तंग परेशान करने के लिये झुठा पेश किया गया है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एव प्राकृतिक न्याय का सिद्वांत सायल के बजाय गैरसायल के पक्ष में बनता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद के द्वारा बेचान की गई भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान किया गया है अथवा सायल एवं उसकी माता के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि का बेचान किया गया है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 7.5520हैव जिसमें सायल का 5111/7350 हिस्सा व मोहनसिह पुत्र बख्तावर सिह 2239/7350 हिस्सा मुश्तरका खाते में दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि सायल व उसकी माता मु.विधादेवी ने दिनांक 26.07.1983 को विशेष किलो के अनुसार भूमि खरीद की गई थी तथा सायल की माता विधादेवी के देहान्त होने पर विधादेवी पत्नी द्वारका प्रसाद के हक हिस्सा की भूमि वसीयत के आधार पर सायल हकदार हुआ है तथा दिनेश कुमार ने भी दिनांक 26.07.1983 को विशेष हिस्से के अनुसार भूमि खरीद की गई थी जो राजस्व रिकार्ड मे विशेष किलो के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से सायल व उसकी माता विधादेवी एवं दिनेश कुमार के द्वारा जरिये बेयनामा भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज हो गई है दिनेश कुमार ने सायल व उसकी माता विधादेवी के द्वारा विशेष किलों मे खरीद की गई भूमि का बेचान किया गया है जो गलत है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि उसके द्वारा दिनेश कुमार से मुश्तरका खाते की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल संख्या 1 के द्वारा खरीद की गई थी जो उसके कब्जा काश्त में है।

प्रस्तुत बेयनामा के अनुसार सायल एव उसकी माता एवं दिनेश कुमार ने दिनांक 26.07.1983 को विशेष हिस्से के अनुसार भूमि खरीद की गई थी तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खाते में सायल व गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा दिनेश कुमार ने मुश्तरका खाते की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि गैरसायल संख्या 1 को बेचान किया गया है जो प्रस्तुत बैयनामा से साबित है।

गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि सायल से खरीद की गई भूमि का विवरण सही तौर से दर्ज नही किया गया है जिसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है स्वीकार योग्य नही है क्योकि प्रार्थना पत्र में भूमि का अंकन टंकणीय भूल हो सकती है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि के समर्थन में बेयनामा की प्रतिया प्रस्तुत की गई है उसी के अनुसार वाद भूमि की गणना की जा सकती है मात्र टंकणीय त्रुटि के आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना यह न्यायालय उचित नही समझता है।

सायल एवं गैरसायल का कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल एव उसकी माता विधादेवी एवं दिनेशकुमार ने जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है में से अपने हक हिस्से का करवाया गया बैयनामा सही तौर से करवाया गया है या सायल के हक हिस्से की भूमि का बेचान हुआ है।

सायल एवं उसकी माता विधादेवी एवं दिनेश कुमार के द्वारा जरिये बेयनामा दिनांक 26.07.1983 को खरीद की गई भूमि जो वर्तमान में मुश्तरका खाते मे दर्ज है मे से गैरसायल संख्या 1 के द्वारा खरीद की गई भूमि का वाद में निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायालय उचित समझता है ताकि उभयपक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही हो।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल एव गैरसायल संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज भूमि मे किसी प्रकार का परिर्वतन होने से प्रथम दृष्टया सायल को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल संख्या 1 के बजाय सायल के पक्ष में अधिक पाये के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 74/74 की कुल 7.5520हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति उभयपक्ष वाद के निस्तारण तक बनाये रखे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
बांदर (हनुमानगढ़)
गोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner